

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर

—: आदेश :—

नया रायपुर, दिनांक 04/02/2014

APCCF (WM)

APCCF
04/02

क्रमांक एफ 2-7/2013/10-2/बजट: माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा टी. एन. गोदावर्मेन विरुद्ध भारत शासन रिट पिटीशन डब्ल्यू.पी. (सी) नं. 202/95 के आई.ए.क्रमांक 2143 में दिनांक 10.07.2009 को कैम्पा के तहत संचालित कार्यों के भुगतान के संबंध में निम्नानुसार आदेश पारित किये हैं।

"While carrying out the work of utilizing these funds the broad guideline adopted by the NREGA may be followed and as far as possible work may be allotted mostly to rural unemployed people, maintaining the minimum wages level."

2/- उक्त निर्देश के अनुपालन में प्रदेश के 12 वनमंडलों में राज्य कैम्पा निधि के तहत संचालित कार्यों का भुगतान नरेगा पद्धति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता खोलकर किये जाने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये थे।

3/- छत्तीसगढ़ राज्य कैम्पा संचालन समिति की आठवीं बैठक दिनांक 21.01.2014 में यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार भुगतान प्रक्रिया का विस्तार किया जाए।

4/- राज्य के ऐसे क्षेत्र जहां बैंक/पोस्ट ऑफिस की सेवाएं अपर्याप्त हैं, वहां जिले के कलेक्टर एवं वनमंडलाधिकारी द्वारा नगद भुगतान के बाबत निर्णय लिया जावेगा। नगद भुगतान हेतु निम्नानुसार कार्यवाही आवश्यक रूप से की जावेगी :-

अ. नगद भुगतान हेतु संबंधित वनमंडलाधिकारी द्वारा सप्ताह का दिन, स्थल एवं समय पूर्व से निर्धारित किया जावेगा एवं इसका पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जावेगा।

ब. ग्रामीण/मजदूरों के भुगतान हेतु एक भुगतान समिति का गठन किया जावेगा। भुगतान समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे :-

i. ग्राम पंचायत के सरपंच/वन प्रबंधन समिति का अध्यक्ष।

ii. ग्राम पंचायत का पंच/वन प्रबंधन समिति का सदस्य, जिसके क्षेत्र में कार्य संचालित हो रहा है।

iii. क्षेत्र में पिछमान महिला स्वसहायता समूह के दो सदस्य।

iv. गांव/पारा/टोला का मुखिया।

v. कार्यक्षेत्र में नियोजित तीन श्रमिक, जिसमें से कम से कम एक महिला एवं

च.सं. (कैम्पा) अनुरूचि जाति/अनुरूचि जनजाति वर्ग का सदस्य हो।

vi. ग्राम में संचालित शाला का प्रधानपाठक/शिक्षक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता।

3/- भुगतान प्रक्रिया का विडिओग्राफी कराया जावे।

4/- नगद भुगतान की यह अंतरिम व्यवस्था एक वर्ष के लिए होगी, जब तक कि क्षेत्र में बैंक अथवा डाकघर व्यवस्था स्थापित न हो जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से.तं. (कैम्पा)

तथा आदेशानुसार, नया रायपुर

आदेश क्र. 4/03

(अमिताभ जैन)

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

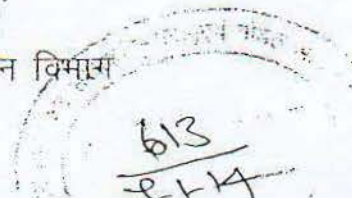


मूलतः कैम्पा से सम्बन्धित होने
से आवश्यक कार्रवाई हेतु अटिष्ठ है।

अ.प्र.मु.व.स (कैम्पा): 24/02/14

अपर प्रधान मुख्य वन संचालक (वि-प्रबंध)

विविध/कैम्पा

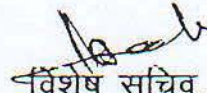


(4)

पृष्ठा.क्रमांक एफ 2-7/2013/10-2/बजट:
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 04/02/2014

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, छ.ग.रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
 2. अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग की ओर उनकी टीप क्रमांक 352/एन /बजट-2/वित्त/चार 04-00452, दिनांक 29.07.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित ।
 3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ रायपुर ।
 4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ रायपुर ।
 5. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर ।
 6. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, रायपुर ।
 7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड, रायपुर ।
 8. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ ।
 9. समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय, वन्यप्राणी एवं कार्य आयोजना) छत्तीसगढ़ ।
 10. समस्त कलेक्टर ।
 11. समस्त वनमंडलाधिकारी, (क्षेत्रीय एवं कार्य आयोजना) छत्तीसगढ़ ।
- की ओर सूचनार्थ । कृपया उपरोक्त आदेश का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जावे ।


विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग